The Contract Labour (Regulation and Abolition) (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2017

Act 14 of 2018

Keyword(s):
Contract Labour, Punishable, Offence

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम-संख्या—34

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 29 जनवरी, 2018

माघ 9, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

संख्या 204 / 79-वि-1—18-1(क)10-2017

लखनऊ, 29 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने ठेका श्रम (विनियम और उत्सादन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर दिनांक 10 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1—(1) यह अधिनियम ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 37 सन् 1970 की धारा 1 का संशोधन

2—ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 1 में उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी :—

(4) यह —

(क) ऐसे प्रत्येक अधिष्ठान के लिए लागू होता है जिसमें पचास (50) या इससे अधिक कर्मकार ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन नियोजित थे ;

(ख) ऐसे प्रत्येक ठेकेदार के लिये लागू होता है जो पचास (50) या इससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है या जिसमें पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन बीस या इससे अधिक कर्मकार नियोजित किए थे :

परन्तु राज्य सरकार, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम दो मास की सूचना देने के पश्चात, इस अधिनियम के उपबन्ध, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे किसी भी अधिष्ठान या ठेकेदार के लिए लागू कर सकती है जो पचास (50) से कम उतने कर्मचारियों को नियोजित करता है जितने अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

धारा 7 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) सभी प्रकार से आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आवेदन—पत्र यथा विहित रीति से प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से एक दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण मंजूर करेगा या मंजूर करने से इन्कार करेगा या मंजूर करने से आपत्ति करेगा। उक्त अवधि के समाप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया समझा जायेगा।

आवेदक आवश्यक दस्तावेजों और फीस संदाय के साथ विभागीय वेब—पोर्टल पर अपना आवेदन—पत्र प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी स्थिति में यदि आवेदन-पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हों और आवेदक पात्र हो तो उसे वेब—पोर्टल द्वारा स्वतः रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर दिया जाएगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र ई—मेल के माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा :

परन्तु यदि रजिस्ट्रीकरण, तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा या तथ्य को छिपा कर या कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया गया हो तो ऐसा रजिस्ट्रीकरण अकृत और शून्य माना जाएगा और उसे रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है तथा आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।"

धारा 13 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 13 में उपधारा (3) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) यदि अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन-पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हों और अनुज्ञापन अधिकारी एक दिन की अवधि के भीतर कोई आदेश करने में विफल रहता है तो यह माना जाएगा कि उसे अनुज्ञप्ति प्रदान कर दी गई है।"

नयी धारा 25 क का बढ़ाया जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 25 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:—

"25 क (1) इस अधिनियम के अधीन किये गये ऐसे किसी अपराध का शमन जो जुर्माना या कारावास जो 6 माह तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय हो, किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात अभियुक्त के आवेदन पर किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे यथा विहित रीति से ऐसे अपराध के लिए उपबन्धित अधिकतम जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि के साथ किया जा सकता है :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन शमन की व्यवस्था केवल प्रथम बार अपराध कारित करने पर ही सुलभ होगी।

(2) किसी अपराध का शमन किये जाने के लिए प्रत्येक आवेदन यथा विहित प्रपत्र में और रीति से किया जायेगा।

(3) जहाँ किसी अपराध का शमन, किसी अभियोजन के संस्तुति किये जाने के पूर्व किया जाता है वहाँ ऐसे अपराधी के विरूद्ध जिसके संबंध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया हो, ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जायेगा।

(4) जहाँ किसी भी अपराध का शमन, किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पश्चात किया जाता है वहां ऐसा शमन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उस न्यायालय के संज्ञान में लिखित रूप में लाया जायेगा जिसमें ऐसा अभियोजन लम्बित हो और अपराध के शमन का इस प्रकार संज्ञान में लाये जाने पर वह व्यक्ति, जिसके विरूद्ध इस प्रकार अपराध का शमन किया गया हो, उन्मोचित कर दिया जायेगा।"

———

उद्देश्य और कारण

कतिपय अधिष्ठानों में ठेका श्रमिकों के नियोजन को विनियमित करने तथा कतिपय परिस्थितियों में उसका उत्सादन करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 अधिनियमित किया गया है । उक्त अधिनियम में अधिष्ठानों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण और बीस या उससे अधिक ठेका श्रमिकों का नियोजन करने वाले ठेकेदारों के अनुज्ञापन की भी व्यवस्था है ।

औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गठन में वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा परिणामिक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के कारण इस अधिनियम के उपबन्धों से लघु अधिष्ठानों और ठेकेदारों को छूट प्रदान करने तथा रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन प्रक्रिया हेतु निश्चित समय सीमा निर्धारित करने के लिये और न्यायालयों में अनावश्यक मुकदमेंबाजी से बचने के लिये तथा लम्बित अनेक वादों में कमी करने के उद्देश्य से लघु अपराधों के शमन का उपबन्ध पुरःस्थापित करने की मांग बढ़ती रही है। नियोक्ता संघों एवं व्यापार संघों से सम्यक विचार–विमर्श और परामर्श के पश्चात् यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम का उत्तर प्रदेश राज्य में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में यथा पूर्वोक्त उपबन्ध करने के लिये संशोधन किया जाय ।

तदनुसार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है ।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

———

No. 204(2)/LXXIX-V–1–18-1(ka) 10-2017
Dated Lucknow, January 29, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Theka Shram (Viniyaman Aur Utsadan) (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on January 10, 2018 :–

THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2017

(U. P. ACT NO. 14 OF 2018)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-eight Year of the Republic of India as follows:-

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Contract Labour (Regulation and Abolition) (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2017.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of section 1 of Act no. 37 of 1970

2. In section 1 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 hereinafter referred to as the principal Act, for sub-section (4) the following sub-section shall be *substituted*-

"(4) It applies-

(a) to every establishment in which fifty or more workmen are employed or were employed on any day of the preceding twelve months as contract labour;

(b) to every contractor who employs or who employed on any day of the preceding twelve months fifty or more workmen :

Provided that the State Government may, after giving not less than two month's notice of its intention so to do, by notification in the Official *Gazette*, apply the provisions of this Act to any establishment or contractor employing such number of workmen less than fifty as may be specified in the notification."

Amendment of Section 7

3. In section-7 of the principal Act, after sub-section (2) the following sub-section shall be *inserted*, namely :–

"(3) On submission of application in all respect the registering officer shall grant or refuse to grant or object to grant registration within one day from the date of submission of application and in such manner as may be prescribed. On the expiration of the said period the registration shall be deemed to be granted.

Applicant may submit his application on departmental web portal along with necessary documents and payment of fee. In such case if the application is complete in all respect and the applicant is eligible, automatic registration shall be granted by the web portal and registration certificate be sent through e-mail:

Provided that if the registration is obtained by misrepresentation of fact or concealment of fact or on the basis of forged document then such registration shall be deemed null and void and can be cancelled by registering officer and legal action shall be taken against applicant."

Amendment of Section 13

4. In section 13 of the principal Act, after sub section (3) the following sub section shall be *inserted*, namely :–

"(4) If an application for licenses is complete in all respects and the licensing officer fails to make any order within a period of one day then it shall be deemed that the license has been granted to him."

Insertion of new Section 25-A

5- After section-25 of the principal Act the following section shall be *inserted*, namely:-

"25-A (1) Any offence committed under this Act, punishable with fine or imprisonment up to six months or with both may, on an application of the accused person, either before or after institution of any prosecution, be compounded by such Competent Officer, as the State Government may by notification, specify for a sum of fifty percent of the maximum fine provided for such offence, in such manner as may be prescribed :

Provided that the provision of compounding under this section shall be available only for commission of first offence.

(2) Every application for the compounding of an offence shall be made in such manner as may be prescribed.

(3) Where any offence is compounded before the institution of any prosecution, no prosecution shall be instituted in relation to such offence, against the offender in relation to whom the offence is so compounded.

(4) Where the composition of any offence is made after the institution of any prosecution, such composition shall be brought by the officer referred to in sub-section (1) in writing to the notice of the court in which prosecution is pending and on such notice of the composition of the offence being given, the person against whom the offence is so compounded shall be discharged".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 has been enacted by the Central Government with the object of regulating the employment of contract labourers in certain establishments and for its abolition in certain circumstances. The said Act also provides for compulsory registration of establishments and licensing of contractors employing twenty or more contract labourers.

Due to globalization, liberalization and consequent competitive atmosphere in industrial & commercial setup, there has been a growing demand for exempting small establishments and contractors from provisions of this Act and fixing a definite timeline for registration and licensing procedure and for introduction of provision for compounding of small offences in order to avoid unnecessary litigation and to reduce the number of cases pending in courts. After due consideration and consultation with associations of employers and trade unions, it has been decided to amend the said Act in its application to the State of Uttar Pradesh make the provisions as aforesaid.

The Contract Labour (Regulation and Abolition)(Uttar Pradesh Amendment) Bill,2017 is introduced accordingly.

By order,

VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 840 राजपत्र–(हिन्दी)–2018–(2611)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 168 सा0 विधायी–30–1–2018–(2612)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।